राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 305

प्रगति

समाचार पत्र

अक्तूबर 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

भारत में एमजीएनआरईजीएस में समवर्ती

सामाजिक लेखापरीक्षा

3 भारत में एमजीएनआरईजीएस में समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा

विषय-सूची

6
ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक आधारित सहभागी अनुसंधान करने पर एनआईआरडीपीआर ऑनलाइन राष्ट्रीय टीओटी आयोजित करता है ।

7
ग्रामीण विकास पेशेवरों और सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर एसआईआरडी मेघालय के संकाय के लिए ऑनलाइन कार्यशाला-सह-टीओटी

8
एसएयू झारखंड के स्त्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण

9
पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

10
एनआईआरडीपीआर ने मनाई गांधी जयंती

11
जैविक खेती, प्रमाणन और विपणन के सिद्धांतों पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

12
कृषि पर सततयोग्य मॉडल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम - बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण लिंकेज

13
एनआईआरडीपीआर ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया, जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की

14
एफपीओ के माध्यम से जैविक संयंत्र पोषण और संरक्षण सामग्री की तैयारी पर एनआईपीएचएम हैदराबाद के साथ वेबिनार

15
भारतीय ज्वार अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के साथ ज्वार फसलों का मूल्य चैन विकास पर वेबिनार

16
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक पूल संसाधनों की पहचान और रखरखाव के लिए रणनीतियों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

17
नए कृषि अधिनियमों और उनके निहितार्थों पर माननीय राज्यपाल, तेलंगाना की वीडियो कान्फ्रेंस

18
सीपीआरडीपी और एसएसडी सहभागी शिक्षण अभ्यास पर ऑनलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन

19
उद्यमियों के लिए आरटीपी विभिन्न वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ।

भारत में एमजीएनआरईजीएस में समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों के अकुशल मैनुअल श्रम की गारंटी देता है। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को कई अधिकार और हक दिए जाते हैं। इसके तहत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया, जिम्मेदारियां और समय सीमा निर्धारित की गई है।

अधिनियम के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा एक अपेक्षित उपकरण है, जो किए जाने वाले कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। मनरेगा की धारा 17 में परिकल्पना की गई है कि सामाजिक लेखापरीक्षा युनिट द्वारा हर छह महीने में एक बार ग्राम पंचायतों का स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाए।

मनरेगा की अनुसूची II भी समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा को नियमित आधार पर अनिवार्य करती है। यह लेखा परीक्षा सहभागी होने चाहिए, जिसमें सभी गाँव के सदस्य भी शामिल हों, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एमजीएनआरईजीएस के कार्यों को वार्षिक, योजनाओं के अनुरूप समावेशी रूप से किया जा रहा है। सामाजिक लेखापरीक्षा और समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा दोनों का उद्देश्य इस अधिनियम के तहत निर्धारित अंतिम लक्ष्य और उद्देश्यों की उपलब्धि का समर्थन करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के उचित प्रयास के बाद, सभी राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा संस्थागत हो गए लेकिन समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा को महत्व नहीं दिया गया।

एक बार जब एमओआरडी ने एमजीएनआरईजीएस कार्यों पर लॉकडाउन प्रतिबंध हटा दिया, तब अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में श्रमिक वापस लौट आए। हालांकि, सभी राज्यों में एमजीएनआरईजीएस कार्य चल रहे हैं, लेकिन एसएयु के सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के लिए संभव नहीं है कि कोविड -19 महामारी के कारण कार्य योजना 2020- 21 के अनुसार मनरेगा के नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करें। इस प्रकार, समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा बहुत सहायक है। सभी ग्राम पंचायतों में नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी राज्यों को समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा करने पर विचार करना चाहिए

समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा के उद्देश्यों में सामुदायिक निगरानी, अधिकारों और हक के बारे में जागरूकता पैदा करना, मनरेगा में काम करने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित करना, समय पर शिकायतों का निवारण करना, पंचायतों को उन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और संवेदनशील बनाना है जो स्थानांतरण से वापस आ रहे हैं, कार्यस्थल सुविधाओं को सुनिश्चित करना, प्रारंभ किए गए कार्यों की उपयोगिता और गुणवत्ता, श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान आदि शामिल हैं।

बहुत सारे मजदूर अपने पैतृक गाँवों में लौट आए और उन्हें जॉब कार्ड जारी करने पड़े। समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया यह जाँचने में उपयोगी होगी कि क्या लौट कर आए प्रवासियों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे और वे मनरेगा के तहत काम करने में सक्षम थे।

तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए 15 जुलाई, 2020 को समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 15 राज्य वर्तमान में समवर्ती लेखापरीक्षा कर रहे हैं और स्थिति तालिका -1 में दी गई है।

लाभार्थियों के घर-घर सत्यापन के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा दल

समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा के महत्व को समझते हुए, सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने 3 सितंबर, 2020 को सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों में से प्रत्येक के निदेशकों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया। इसमें बैठक में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों ने समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने पर अपने अनुभव साझा किए। झारखंड और तेलंगाना में समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से परामर्शी बैठक में साझा किया गया है।

झारखंड में समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया

झारखंड ने 1 जून, 2020 से समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया। पांच दिनों के लिए पांच सदस्यीय दल ने लेखा परीक्षा (एक अलग पंचायत के दो अनुभवी स्रोत व्यक्ति और एक ही ग्राम पंचायत के तीन व्यक्ति) किया।

लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले स्रोत व्यक्तियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। डेटा प्रविष्टि के लिए गुगल शीट में प्रारूप बनाए गए थे। चल रहे कार्यों और अन्य एमआईएस डेटा के मस्टर रोल डाउनलोड किए गए और टीमों को दिए गए।

टीम ने चल रहे कामों का दौरा किया, मजदूरी मांगकर्ता के घरों का दौरा किया जो मस्टर रोल में सूचीबद्ध हैं और संगरोध केंद्रों का दौरा किया। लोगों को जॉब कार्ड प्राप्त करने और मांग फॉर्म भरने में सहायता दी गई। भले ही कोई ग्राम सभा न हो, लेकिन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को छोटी बैठकों में लोगों के बीच साझा किया जाता है। अंतिम दिन, ग्राम पंचायत के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और खंड विकास अधिकारी को 15 दिन में कार्रवाई करनी होती है।

गुगल स्प्रेडशीट में भी डेटा दर्ज किया गया है। दर्ज किए गए डेटा को तुरंत विभाग की टीम को उपलब्ध कराया जाता है, जिसे 48 घंटों में गंभीर मुद्दों पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है (जेसीबी के उपयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, कार्य सुविधाएं प्रदान करना, सवाल यह है कि जब काम नहीं हो रहा है या क्यों नहीं चल रहा है तो मस्टर रोल जारी किया गया है। पूरा काम फिर से दिखाया जा रहा है, आदि)।

चूंकि कोई जन सुनवाई नहीं होती है, इसलिए सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट का पालन करने के लिए जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। समिति की समीक्षा के बाद लेखा परीक्षा पैराग्राफ केवल गिनाए जा सकते हैं। समवर्ती लेखा परीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए एटीआर समीक्षा समिति की गुगल बैठक की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा, सीएसए प्रक्रिया पर एक जांच के रूप में, सीएसए के 5 प्रतिशत का परीक्षण सिविल सोसायटी के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

सामाजिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा बारदाहा, जामताड़ा जिला, झारखंड में खोदे गए कुएं का सत्यापन

तेलंगाना में समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया

तेलंगाना में जून 2020 से समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू हुआ। सीएसए की टीम ने घर-घर सत्यापन किया और हितधारकों के साथ बातचीत की, जिसमें लंबित भुगतान, काम की मांग, नए जॉब कार्ड के लिए अनुरोध / मौजूदा जॉब कार्ड में नाम जोड़ने और बंटवारे में मौजूदा जॉब कार्ड और कार्यकर्ता समूह में गठन / जोड़ना आदि जैसी विधिवत शिकायतें दर्ज की गईं।

संबंधित हितधारक को टीम एक शिकायत रसीद देती है। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधिवत शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालयों में शिकायत निवारण डेस्क का आयोजन किया। टीम, कोविड-19 महामारी की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है। वे जीपी स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों और रजिस्टरों का सत्यापन करते हैं।

वे चल रहे कार्य स्थलों का भौतिक सत्यापन भी करते हैं, जिसमें क्रियाकलाप जैसे क) आकलन के साथ स्थान का सत्यापन (मोबाइल के माध्यम से) ख) अंकन / माप पर जागरूकता पैदा करना (प्रतिदिन मजदूरी) ग) काम और संरचना का उपयोग घ) कार्य सुविधाओं पर जागरूकता पैदा करना ड़) अधिकारों पर जागरूकता का सृजन करना और मजदूरी करने वालो के हक च) मस्टर सत्यापन: कार्य स्थलों पर रोल कॉल, उदाहरण के लिए, चल रहे कार्यों का विवरण रिकॉर्ड करना शामिल हैं।

दिन के अंत में, प्रत्येक गांव में, हल की गई शिकायतों को संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है जो कि लंबित शिकायतों के अनुवर्तन में जीपी में सीएसए पूरा होने के बाद भी फोन पर किया जाता है।

मंडल कंप्यूटर केंद्र स्तर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और जीपी स्तर पर पंचायत सचिव लंबित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार हैं और सामाजिक लेखा परीक्षा दल उनके साथ प्रत्येक मुद्दे पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

घर-घर सत्यापन और कार्यस्थलों के दौरान फॉर्मेट विधिवत भरे जाते हैं जिसे एमजीएनआरईजीएस कार्यक्रम अधिकारी के साथ मुद्दों को हल करने के लिए साझा किया जाता है और डेटा हर हफ्ते गूगल प्रपत्र डेटाशीट्स के माध्यम से ओ / ओ एसएसएएटी को प्रस्तुत किया जाता है। सीएसए पर साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को एमओआरडी को प्रस्तुत की जा रही है। प्रक्रिया के दौरान मामला अध्ययन भी दर्ज किए जा रहे हैं।

अंत में, मनरेगा के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा और समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा दोनों का संचालन किया जाना अनिवार्य है। लेकिन कोविड -19 महामारी से पहले किसी भी राज्य में समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप नहीं दिया गया था। जो राज्य लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा करना शुरू कर दिया है।

चूंकि समवर्ती लेखापरीक्षा कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने में बहुत सहायक है, इसलिए राज्यों को समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा करने पर भी विचार करना चाहिए, यहाँ तक कि जब सभी ग्राम पंचायतों में नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई।

श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, आरडी और पीआर, झारखंड के शब्दों में काम पूरा होने के बाद एक सामान्य लेखापरीक्षा एक गलत-खोज अभ्यास है - विसंगतियों और चूक को सूचीबद्ध किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और वसूली की जाती है। हालाँकि, चल रहे कार्यों पर समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा किया जाता है, यह अंत में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता के बिना प्रारंभिक चरण में ही पाठ्यक्रम में सुधार करने की अनुमति देता है।

तालिका -1: वर्ष के लिए आयोजित समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति 2020-21 (29.10.2020)

क्र.सं	राज्य का नाम / केन्द्र शासित प्रदेश	चल रहे एमजीएनआरईजीएस कार्यों के साथ जीपी की कुल संख्या	नियोजित समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की कुल संख्या	चल रहे कार्यों के साथ कुल जीपी की तुलना में योजनाबद्ध सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रतिशत	कुल समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	योजना की तुलना में आयोजित सीएसए का %
1.	आन्ध्र प्रदेश	2726	1103	40.46	838	75.97
2.	बिहार	-	-	-	-	-
3.	छत्तीसगढ़	5940	2505	42.17	2012	80.32
4.	हिमाचल प्रदेश	1852	887	47.89	829	93.46
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2516	209	8.31	154	73.68
6.	झारखंड	4121	3100	75.22	1842	59.42
7.	केरल	103192	79202	76.75	69582	87.85
8.	मध्य प्रदेश	21182	9899	46.73	4713	47.61
9.	मेघालय	2278	700	30.73	688	98.29
10.	ओडिशा	6446	1973	30.61	1887	95.64
11.	पंजाब	5603	706	12.60	706	100.00
12.	सिक्किम	53	21	39.62	21	100.00
13.	तेलंगाना	12604	2221	17.62	2179	98.11
14.	उत्तर प्रदेश	43459	46215	106.34	30140	65.22
15.	उत्तराखंड	3422	360	10.52	379	105.28

आवरण कहानी : **डॉ. सी. धीरजा**
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख
सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र
एनआईआरडीपीआर
कवर पेज डिजाइन: **वी. जी. भट्ट**

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित सहभागी अनुसंधान के आयोजन हेतु एनआईआरडीपीआर ने किया ऑनलाइन राष्ट्रीय टीओटी का आयोजन

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयुक्त स्लाइड

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित - भागीदारी अनुसंधान पर प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण डॉ रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर और पाठ्यक्रम निदेशक, समता और सामाजिक विकास केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में 19 से 21 अक्टूबर, 2020 के दौरान आयोजित किया गया था।

सहभागी अनुसंधान (पीआर) बहु-विषयक दृष्टिकोण का एक सेट है जो स्वाभाविक रूप से भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। समावेशिता के मूल दर्शन पर दृष्टिकोण निर्भर करते हैं विशेष रूप से अनुसंधानकर्ताओं और समुदाय में यह दृष्टिकोण अनुसंधान की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी का प्रसार करता है और इस प्रक्रिया में स्वामित्व की भावना विकसित करता है और अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रसार होता है।

विकास एजेंसियों और शिक्षाविदों की अनुसंधान प्रक्रियाओं में पीआर का काफी उपयोग हुआ है। इस दृष्टिकोण ने लोकप्रियता हासिल की क्योंकि यह अनुसंधान के संचालन की प्रक्रिया के दौरान अनुसंधान को एक कार्यान्वयन योग्य प्रक्रिया बनाता है और साथ ही साथ लोगों को अनुसंधान प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी द्वारा उनकी स्थिति का विश्लेषण करने में संवेदनशील बनाता है। जैसा कि पीआरआईए इंटरनेशनल अकादमी, निर्णय-निर्माताओं, सीमान्तीकृत लोगों के सलाहकारों, समुदाय के अनुसंधानकर्ताओं और समुदाय के लोगों ने अध्ययन के सामाजिक और सांस्कृतिक वैधता पर सवाल उठाया है, जो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से लोगों, संस्कृति और संदर्भ के बारे में कम ही जानते हैं। लोगों के जीवन को प्रभावित और बदलने वाली स्थितियों को बदलने के लिए शैक्षिक और गैर-शैक्षणिक हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

अनुसंधान प्रक्रिया में इच्छित उपयोगकर्ताओं, लाभार्थियों और हितधारकों की भागीदारी, उनकी मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ाती है।

विकास पेशेवरों और शिक्षाविदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जो डेटा संग्रह के लिए सहभागी तरीकों का उपयोग करते हुए, प्रतिभागियों के अनुसंधान सिद्धांतों पर उन्मुख करके सामुदायिक-आधारित भागीदारी अनुसंधान का संचालन करने की क्षमता में सुधार करना है। डेटा विश्लेषण और प्रसार एवं कुछ तरीके जिसमें अनुसंधान का उपयोग सामूहिक कार्रवाई करने के लिए समुदाय को जुटाने के लिए किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि के विपरीत, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित भागीदारी अनुसंधान पर प्रशिक्षकों का एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया।

टीओटी का उद्देश्य इतिहास और व्युत्पत्ती की सराहना करना है एक ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के साथ भागीदारी अनुसंधान, समुदाय के साथ साझेदारी में एक भागीदारी अनुसंधान डिजाइन विकसित करना (अनुसंधान की पहचान पर ध्यान देने के साथ) डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीके, सामूहिक कार्य और परिवर्तन के लिए निष्कर्षों का प्रसार और डेटा संग्रह तथा विश्लेषण की भागीदारी विधियों के लिए कौशल विकसित करना है।

इसमें सामूहिक अनुसंधान के लिए नए अनुसंधान ज्ञान का उपयोग करने के लिए विकासशील रणनीतियों के लिए भागीदारी मूल्यांकन और निगरानी करना, ग्रामीण और जनजातीय समुदायों का कार्य और परिवर्तन शामिल है।

उद्घाटन सत्र में, डॉ. रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर और पाठ्यक्रम निदेशक, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर ने स्वागत भाषण दिया और प्रशिक्षण कार्यक्रम की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण की सामग्री में पीआरए, भागीदारी सीखने और क्रिया (पीएलए), भागीदारी क्रिया अनुसंधान, कला आधारित विधियों के माध्यम से भागीदारी अनुसंधान, भागीदारी अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के तरीके, भागीदारी मूल्यांकन और निगरानी, व्यवहार परिवर्तन संचार: समुदाय आधारित सहभागी अनुसंधान में सहभागी अनुसंधान और नैतिकता में सिद्धांत और अभ्यास जैसे क्षेत्र के विभिन्न स्पेक्ट्रम शामिल थे।

कुल मिलाकर, किनिया और बांग्लादेश जैसे देशों के विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के 130 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों में ज्यादातर एसआईआरडी संकाय, आदिवासी सेल के अधिकारी, पीईएसए राज्य के अधिकारी, आदिम जाति कल्याण अधिकारी, पंचायत अधिकारी, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ के अधिकारी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय थे।

कार्यक्रम को सहभागी और संवादात्मक होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह व्याख्यान, ऑडियो विजुअल स्क्रीनिंग, चर्चा के माध्यम से कक्षा में भागीदारी, विषय वस्तु पर प्रश्नोत्तरी, मामला अध्ययन और समस्या का हल करने वाले अभ्यासों आदि जैसे प्रशिक्षण विधियों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का एक विवेकपूर्ण मिश्रण था।

प्रशिक्षण की वैधता के दौरान, प्रतिभागियों ने अपने अनुभवात्मक शिक्षण को साझा किया और भविष्य में इस विशेष मुद्दे पर अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मांग की।

समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी) की सहायक प्रोफेसर और पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. रुबीना नुसरत ने प्रशिक्षकों के कार्यक्रम के तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया।

सुशासन के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व उपकरणों पर एसआईआरडी, मेघालय के संकाय एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञों के लिए ऑनलाईन कार्यशाला-सह-टीओटी

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयुक्त प्रस्तुति से एक स्लाइड

14 से 16 अक्टूबर, 2020 के दौरान सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 'सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण' पर एसआईआरडी मेघालय के संकाय एवं ग्रामीण विकास पेशेवरों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला-सह-टीओटी का आयोजन किया।

सुशासन का संबंध निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रियाओं के बारे में है। यह सही निर्णय लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उन निर्णयों को करने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रक्रिया के बारे में है। सुशासन कानून के शासन, उत्तरदायी, न्यायसंगत, प्रभावी, कुशल और भागीदारी के बाद, जवाबदेही, पारदर्शिता का एक संयोजन है।

सामाजिक जवाबदेही उपकरण विकास चिकित्सकों को ज्ञान उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार, अंततः स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासन में सुधार करते हैं। सामाजिक जवाबदेही उपकरण सीखने के लिए आवश्यक हैं; सार्वजनिक नीतियों में से कई तेजी से लक्ष्य उन्मुख हैं, जिसका उद्देश्य औसत दर्जे के परिणामों, लक्ष्यों और निर्णय केंद्रित के लिए हैं।

सुशासन का महत्व जनता के लिए सेवा के सफल वितरण पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तक सरकार की गरीबी उन्मुख पहल तक पहुंचना था। शासन में सुधार एक दैनिक मामला है और सरकारी सेवकों के लिए एक सतत प्रक्रिया है। समुदाय को सशक्त बनाने और जवाबदेही लाने के लिए सूक्ष्म स्तर पर इस सामाजिक जवाबदेही उपकरण का उपयोग करके शासन में सुधार किया जा सकता है।

कार्यक्रम का विवरण

- कार्यक्रम का विवरणयह विशेष विषय प्रतिभागियों को ज्ञान और साधन प्रदान करेगा जहां एक संगठन को लोक सेवाओं के वितरण में व्यावसायिकता को रिकॉर्ड करने और तैयार करने की आवश्यकता है।
- प्रतिभागी सार्वजनिक मुद्दों के आकलन के तकनीकी पहलुओं को सीखेंगे, जिसमें हितधारकों की भागीदारी भी शामिल है।
- साधनों का अनुप्रयोग लक्ष्यों की प्राप्ति, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूर्ति को प्रोत्साहित करता है और सार्वजनिक कार्यालय में जनता के विश्वास को बढ़ावा देता है।
- प्रायोजक संगठन पहचान प्राप्त करेगा और लक्ष्य प्राप्ति में सुधार करेगा।

उद्देश्य

- प्रतिभागियों को कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों की अवधारणा से परिचित कराना।
- मौजूदा नीतियों में शासन खामियों और अंतराल की पहचान करना।
- प्रतिभागियों को विभिन्न सामाजिक जवाबदेही उपकरण सीखने में सक्षम बनाना।
- ग्रामीण विकास के मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों के विश्लेषण के लिए उन उपकरणों को लागू करना।
- टूल्स को सत्यापित और स्थापित करना।
- प्रतिभागियों को बेहतर सेवा वितरण के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण हेतु ज्ञान और कौशल से सज्जित करना।

ऑनलाइन कार्यशाला-सह-टीओटी ने निम्नलिखित मॉड्यूल को कवर किया:

- अवधारणा, दृष्टिकोण और सुशासन के कारक
- सामाजिक जवाबदेही की अवधारणाओं, दृष्टिकोण, तर्कसंगतता और उपकरण
- सामाजिक जवाबदेहिता उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - बजट विश्लेषण, निधि उपयोग और भागीदारी बजट
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - समुदायस्कोर कार्ड (सीएससी)
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग - नागरिक रिपोर्ट कार्ड (सीआरसी)

ऑनलाइन कार्यक्रम सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण जैसे विषयों को कवर करने के लिए निर्धारित किया गया था। उन्हें ग्रामीण विकास, जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण, सामाजिक जवाबदेही उपकरण- सार्वजनिक व्यय ट्रैकिंग (पीईटी), सामाजिक जवाबदेही उपकरण और तकनीक: सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) उपकरण और प्रमुख कदम, मामले के संदर्भ में समझाया गया। उदाहरण: पीडीएस में बेहतर सेवा वितरण का सफल उदाहरण - सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) पर एनआईआरडीपीआर टीओटी का एक परिणाम; सीआरसी का संदर्भ, संदर्भ और औचित्य, विशेषताएं, आवेदन, सीआरसी पद्धति का परिचय, एक सीआरसी प्रक्रिया में मूल कदम, सीआरसी निष्कर्षों और सीआरसी मामलों के उदाहरणों का प्रसार।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री सीआरसी, सीएससी, बजट विश्लेषण पर व्याख्यान, चर्चा, बहस और अनुभव प्रशिक्षण के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से वितरित की गई थी। प्रत्येक सत्र के अंत में, एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया था और प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से उनकी शिक्षा को समझने के लिए ऑनलाइन परीक्षण दिए गए थे। एसआईआरडी मेघालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पेशेवरों, खंड विकास अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण), एपीओ-एमजीएनआरईजीए, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, मास्टर ट्रेनर, डीपीएम एमजीएनआरईजीए, ग्राम सेवक, प्रिंसिपल ईटीसी, डीएसएआरपी, सामाजिक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ सहित कुल 108 प्रतिभागी एसएई, सामाजिक लेखापरीक्षा अधिकारी, जिला सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्ति, ग्राम स्त्रोत व्यक्ति और खंड स्त्रोत व्यक्ति शामिल हुए।

सुशासन एवं नीति विश्लेषण (सीजीजीपीए) के सहायक प्रोफेसर डॉ. के. प्रभाकर ने इस ऑनलाइन कार्यशाला - सह - टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया।

एसएयू झारखंड के स्त्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण

सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र (सीएसए), एनआईआरडीपीआर ने 28 जून से दूसरे दिन- 2 अक्टूबर 2020 तक झारखंड राज्य के सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों के लिए एनएसएपी एवं पीएमएवाई-जी सामाजिक लेखापरीक्षा पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वेबेक्स का उपयोग करते हुए किया गया। सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट (एसएयू) झारखंड द्वारा नामित कुल 111 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया।

नवंबर, 2019 में भारत सरकार द्वारा पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देशों के संचालन के लिए जारी किए गए। सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र, एनआईआरडीपीआर एसएयू के स्त्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण और अनुभव समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने सभी राज्यों को कवर करते हुए दिसंबर 2019- फरवरी 2020 तक प्रशिक्षकों (टीओटी) के पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। कोविड-19 के कारण, शेष स्त्रोत व्यक्तियों की क्षमता निर्माण जारी नहीं रखा जा सका। इसलिए, सीएसए, एनआईआरडीपीआर ने सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों के लिए और सोशल ऑडिट ऑफ़ एनएसएपी एवं पीएमएवाई-जी' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 20 सत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक दिन के अंत में, प्रतिभागियों को गुगल फॉर्म के माध्यम से दस सवालों के साथ एक प्रश्नोत्तरी दी गई थी। अधिगम सामग्री की ई-प्रतियां, पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) और प्रश्नोतरी के प्रश्न हिंदी में अंग्रेजी भाषा में दिए गए क्योंकि अधिकांश प्रतिभागी हिंदी समझते थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट, झारखंड के निदेशक श्री गुरजीत सिंह ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में, श्री गुरजीत सिंह ने वर्तमान परिदृश्य में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की आवश्यकता और सामाजिक

लेखापरीक्षा सुविधाकर्ताओं की क्षमता और कौशल वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत गतिरोध दूर कहने वाले अभ्यास से हुई, जिससे प्रतिभागी खुद को अभिव्यक्त कर सकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम से परिचित हो सकें। पांच दिवसीय अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषयों को कवर किया गया :

- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और जमीनी स्तर के मुद्दे - प्रतिभागी अनुभव
- सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा
- सामाजिक लेखापरीक्षा में हालिया घटनाक्रम
- एनएसएपी दिशानिर्देशों का परिचय
- राज्य की योजनाएँ और एनएसएपी की कार्यान्वयन चुनौतियाँ
- एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- एनएसएपी प्रोग्राम के प्रायोगिक लेखापरीक्षा के अनुभव
- पीएमएवाई - जी दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन चुनौतियां
- पीएमएवाई - जी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई - जी के टीओटी के दौरान सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव

सभी सत्र वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। सत्रों के दौरान और उसके बाद बातचीत और हर सुबह अनिवार्य पुनर्कथन ने कार्यक्रम को अत्यधिक सहभागी बना दिया।

प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद, अंतिम दिन एक कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया । इस मूल्यांकन के दौरान, प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम सामग्री, व्यावहारिक अभिविन्यास और पाठ्यक्रम सामग्री आदि पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही साथ वे भविष्य में अपने दिन के काम में इन जानकारियों और कौशल को कैसे लागू कर सकते हैं। कुछ प्रतिभागियों ने साझा किया कि प्रशिक्षण के इंटरैक्टिव मोड के कारण, उन्हें लगा कि जैसे वे आमने-सामने प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कुछ चुनौतियों को भी साझा किया जैसे कि कुछ स्थानों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रशिक्षण के दौरान उच्च डेटा उपयोग आदि।

उस अनौपचारिक प्रतिक्रिया सत्र के बाद, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) के माध्यम से एक औपचारिक प्रतिक्रिया को ऑनलाइन लिया गया। दूसरे बैच के लिए नामित स्त्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षण 9 से 13 नवंबर, 2020 तक आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर और डॉ. श्रीनिवास सज्जा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, श्री मोहम्मद आरिफ, सलाहकार और श्री शशिधर, प्रशिक्षण प्रबंधक के सहयोग से आयोजित किया गया ।

पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास केन्द्र (सीएचआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 5 से 19 अक्टूबर, 2020 के दौरान 'पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास' पर दो सप्ताह का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में अवसरों पर जानकारी देना, ग्रामीण उद्यमिता में चुनौतियों और अवसरों का प्रबंधन, पशुधन और बैकयार्ड पोल्ट्री का प्रबंधन, पोषण और स्वास्थ्य सेवा, डेयरी के अर्थशास्त्र पर प्रशिक्षण, मूल्य श्रृंखला और एफपीओ दृष्टिकोण, प्रसंस्करण और उत्पाद बनाना, और अर्थशास्त्र, व्यापार में वित्तपोषण, विपणन, ब्रांडिंग, नैतिकता और मूल्यों पर जानकारी देना तथा प्रतिभागियों के साथ पशुधन उद्यमियों के अनुभवों और ज्ञान को साझा करना है।

डॉ. वाई. रमना रेड्डी, कार्यक्रम निदेशक, प्रोफेसर और प्रमुख, सीएचआरडी और निदेशक, एनआरएलएम-आरसी ने प्रतिभागियों को अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों के दौरान दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों और महत्व के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, कवर किए गए प्रमुख क्षेत्र भारत में पशु-संसाधित खाद्य उत्पादन की स्थिति, पशु-संसाधन खाद्य पदार्थों के लिए भविष्य की मांग, पशु-संसाधित खाद्य उत्पादन में छोटे शेयरधारकों की भूमिका, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के माध्यम से लघु-धारक फसल-पशुधन प्रणालियों को बदलने का महत्व, ग्रामीण उद्यमिता में अवसर और चुनौतियां, एक ग्रामीण उद्यमी इकाई, डेयरी और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का पोषण, प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा कैसे शुरू करें, उद्यमिता के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री, चारा और चारा संसाधन प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला की अवधारणा और किसान निर्माता संगठन (एफपीओ) के लिए

उद्यम के माध्यम से पशु-संसाधन खाद्य उत्पादन, दूध, मांस, अंडा और गोबर तथा अर्थशास्त्र के अतिरिक्त मूल्य, डेयरी के व्यावहारिक अर्थशास्त्र, बैंक योग्य पशुधन व्यावसायिक परियोजनाएं, वित्तीय और विपणन रणनीतियों, उत्पादों और नैतिकता, व्यापार में पैकेजिंग और ब्रांडिंग आदि सम्मिलित है।

इसके अलावा, डेयरी, भेड़ और बैकयार्ड पोल्ट्री के साथ एक बातचीत सत्र उद्यमियों को पशुधन उद्यम में आने वाली समस्याओं को समझने और उन्हें यह सिखाने के लिए भी संगठित किया गया था कि वे चुनौतियों को कैसे दूर करें और पशुधन उद्यम चलाने में सफल हों।

चित्र सौजन्य: पिक्साबे

प्राप्त 80 पुष्टियों में से 53 प्रतिभागी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें से 41 (पुरुष - 31 और महिला - 10) ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करके ई-प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इनमें पशुपालन अधिकारी, विभिन्न कृषि, इंजीनियरिंग, पारंपरिक और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों से सहायक अध्यापक (सहायक प्रोफेसर - 9, एसोसिएट प्रोफेसर - 3, प्रोफेसर - 1), केवीके के तीन विषय विशेषज्ञ, आरएसईटीआई और ईडीआईआई (2) एसआरएलएम स्टाफ (2), रिसर्च स्कॉलर / फेलो (3), पोस्ट ग्रेजुएट (5), सलाहकार (1) एनजीओ (4), ग्राम पंचायत प्रधान (1) और अन्य (5)। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिभागियों में असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा के एक-एक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के दो-दो, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के तीन-तीन और उत्तर प्रदेश और बिहार और हरियाणा से पांच प्रतिभागी शामिल हुए।

कार्यक्रम निदेशक डॉ. वाई. रमना रेड्डी ने समापन भाषण प्रस्तुत किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। सुश्री शेफाली सिंह, युवा पेशेवर और सुश्री रिमकी पटगिरी, अनुसंधान सहयोगी, एनआरएलएम-आरसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में कार्यक्रम निदेशक की सहायता की।

एनआईआरडीपीआर ने गांधी जयंती मनाई

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, प्रशासन ब्लॉक में गांधी प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित करते हुए

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने संस्थान में 2 अक्टूबर, 2020 को महात्मा गांधी की 151 वीं जयंती मनायी।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक और लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) ने परिसर में महात्मा गांधी ब्लॉक के सामने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उपस्थित कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके अलावा, उप महानिदेशक और रजिस्ट्रार ने कर्मचारियों को क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में स्वच्छता शपथ दिलाई।

उप महानिदेशक और रजिस्ट्रार ने प्रशासन ब्लॉक में गांधी प्रतिमा का भी माल्यार्पण किया, जिसके बाद संकाय सदस्यों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की गई।

- सीडीसी की पहल

जैविक खेती के सिद्धांत, प्रमाणन और विपणन पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

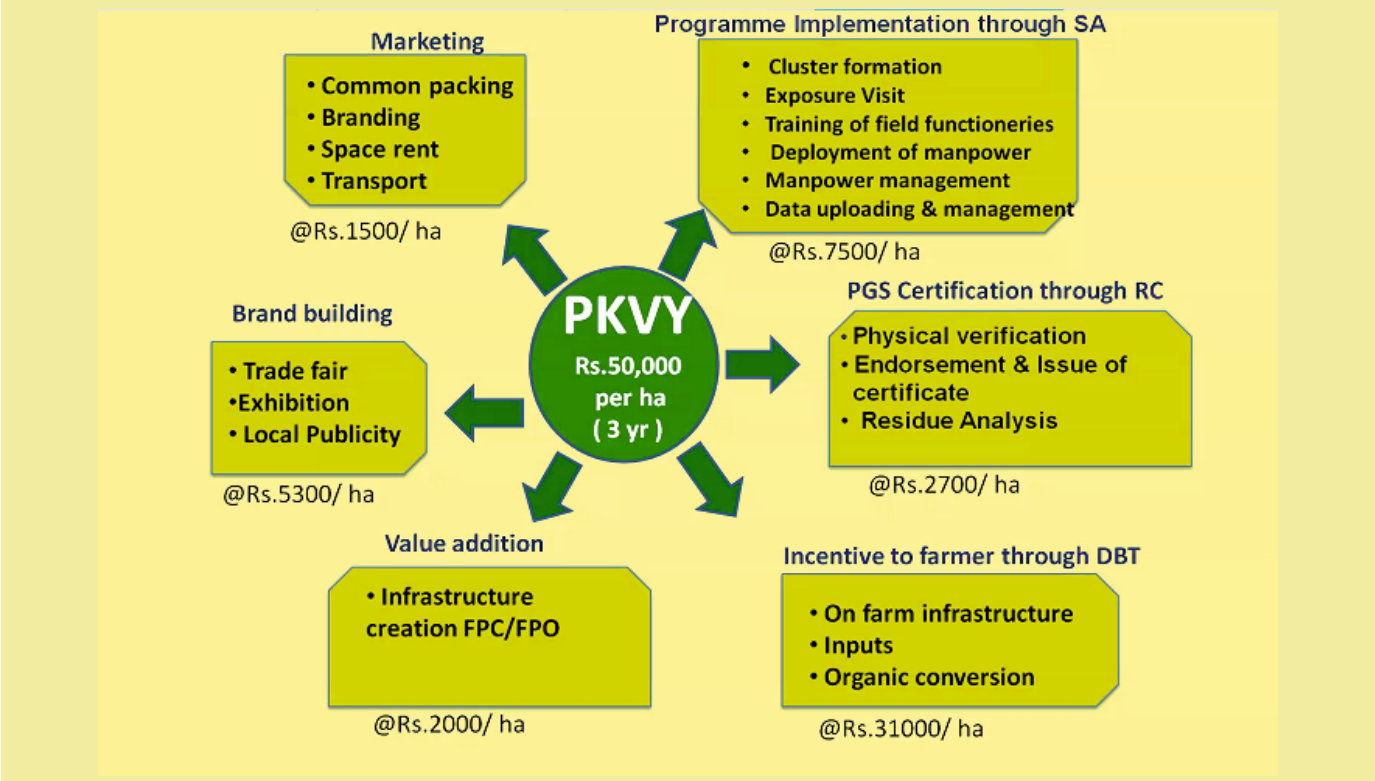

जैविक खेती, प्रमाणन और विपणन पर प्रस्तुति से एक स्लाईड

सतत विकास ने वैश्विक स्तर पर कल्पना और कार्य को शामिल किया है। अब इसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि स्थायी कृषि, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने का एकमात्र तरीका है। सतत कृषि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने या बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखते हुए बदलती मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि के लिए संसाधनों का सफल प्रबंधन है।

सततयोग्य कृषि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैविक खेती कई दृष्टिकोणों में से एक है। इसलिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यकर्त्ता स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए जैविक खेती की पद्धतियों, प्रमाणन और विपणन को समझने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, एक वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को यह जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि जैविक कृषि सततयोग्य कृषि पद्धतियों में से एक है जो कृषि जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एक समग्र कृषि दृष्टिकोण का संरक्षण करता है तथा यह अच्छे स्वास्थ्य, उच्च लाभ मार्जिन सुनिश्चित करता है। यह प्रीमियम की कीमतें, उत्पादन की लागत को कम करने की गुंजाइश और एक जलवायु-स्मार्ट कृषि है।

कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सततयोग्य खेती के तरीकों और पद्धतियों पर प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाना, जैविक उत्पादन में शामिल प्रक्रिया और प्रबंधन पद्धतियों, प्रमाणीकरण के प्रकार, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को समझना और प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल संस्थानों को समझना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक खेती और प्रमाणन और ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण रणनीतियों और विपणन चैनलों के ज्ञान के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर जागरूकता पैदा करना रहा था।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी), ने उद्घाटन भाषण से की। उन्होंने कृषि अध्ययन केंद्र, स्थायी कृषि के महत्व, विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य में जैविक कृषि के महत्व की जानकारी दी। डॉ. निथ्या वी. जी. पाठ्यक्रम निदेशक और सहायक प्रोफेसर, ने प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि, तौर-तरीकों की व्याख्या करके कार्यक्रम की शुरुआत की और पाँच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की।

ऑनलाइन कार्यक्रम को प्रत्येक 60 मिनट के लिए प्रश्नों के विराम के साथ पूर्व और बाद के सत्र के मतदान के साथ इसे सबसे अधिक सीखने का अनुभव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्रतिदिन एक मॉड्यूल की दर से इस कार्यक्रम में कुल पांच मॉड्यूल शामिल किए गए।

मॉड्यूल इस प्रकार थे: 1) भारत में खेती की पद्धतियां और सतत कृषि विधियों के मॉडल, 2) जैविक कृषि: संकल्पना, परिदृश्य, सिद्धान्त और अभ्यास, 3) किसान सामूहिक, विपणन और व्यवस्थित रूप से विकसित उपज की रणनीति, 4) प्रलेखन, प्रक्रिया और जैविक उत्पादों का प्रमाणन, 5) जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप: मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम। प्रत्येक मॉड्यूल में 75 मिनट की अवधि के साथ दो सत्र होते हैं। कार्यक्रम 21 से 25 सितंबर 2020 तक प्रति दिन तीन घंटे (सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे) के लिए निर्धारित किया गया था। प्रतिभागियों ने पहले से डिज़ाइन किए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण किया।

प्रशिक्षण में 123 प्रतिभागियों, कृषि और ग्रामीण विकास के सैंपलिंग लाईन विभाग के अधिकारियों, एफपीओ कार्यान्वयन एजेंसियों, एसआईआरडीपीआर संकाय, एसआरएलएम अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। डॉ. ई. वडिवेल, पूर्व डीन बागवानी, टीएनएयू, डॉ. रामांजनेयुलु, सततयोग्य कृषि केन्द्र, श्री मनोज कुमार मेनन, निदेशक, आईसीसीओए, श्री पुरुषोत्तम रुद्रराजु, आईसीआरआईएसएटी और श्री विपिन कुमार बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र के स्त्रोत व्यक्ति थे। स्त्रोत व्यक्तियों और उन्होंने सततयोग्य कृषि, जैविक खेती, प्रमाणन और विपणन के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया।

गुगल फ़ीडबैक फ़ॉर्म को सभी प्रतिभागियों को उनकी प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए ऑनलाइन प्रसारित किया गया । प्रतिभागियों ने महसूस किया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए पाठ्यक्रम बहुत ही समय पर उपयोगी था। वे अपने संबंधित स्थानों में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखी गई सततयोग्य कृषि पद्धतियों को अपनाने और बढ़ावा देने पर सहमत हुए। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. निथ्या वी.जी. सहायक प्रोफेसर, सीएएस और डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी), सीएसए, एनआईआरडीपीआर ने किया।

कृषि पर पोषण मॉडल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम-बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण संयोजन

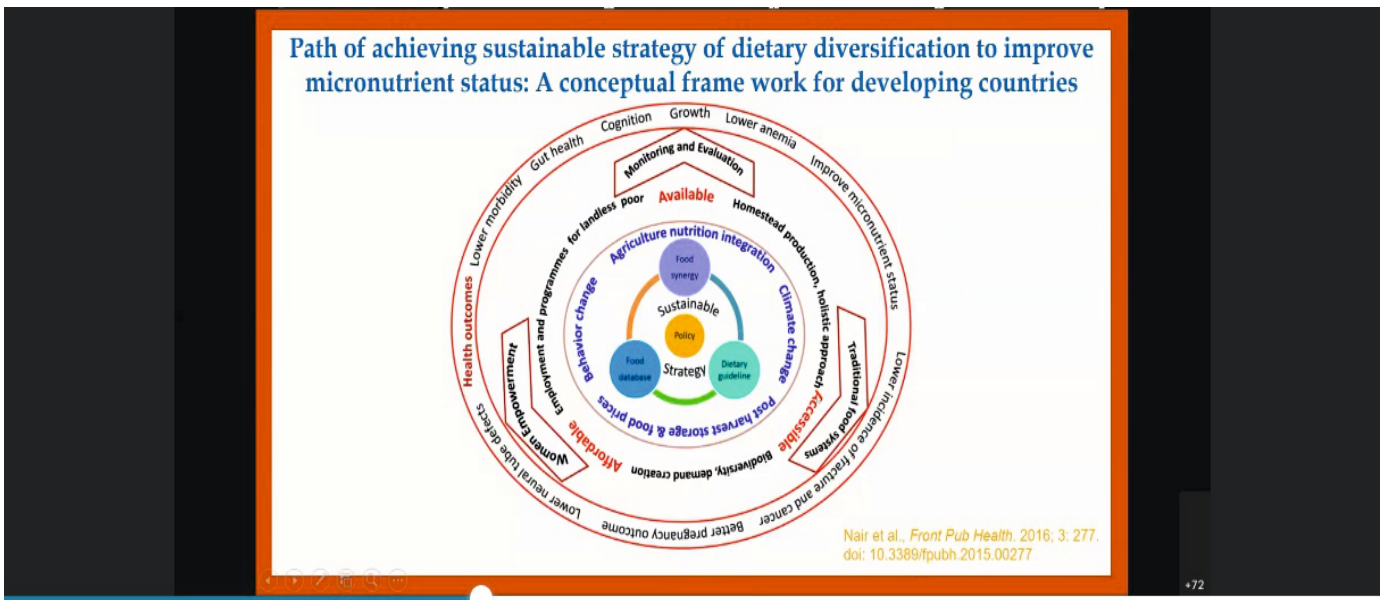

बेहतर पोषणिक परिणामों के लिए कृषि पोषण पर सततयोग्य मॉडल पर प्रस्तुति से एक स्लाइड

एनआईआरडीपीआर के कृषि अध्ययन केंद्र ने 05 से 09 अक्टूबर, 2020 के दौरान कृषि पर सतत मॉडल - बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण संयोजन 'पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे: क) भारत में जनसंख्या के पोषण की स्थिति में विकास की चुनौतियों को समझना, ख) देश में कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रमों और नीतियों से परिचित होना, ग) पोषण परिणामों को निर्धारित करने में कृषि उत्पादन प्रणालियों की भूमिका और कार्य को समझना हैं, घ) कृषि में पोषण लिंकेज जो बेहतर पोषण परिणामों में योगदान देते है उनमें सुधार के लिए स्थायी मॉडल पेश करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच दिनों के लिए आयोजित किया गया जिसमें एक दिन में प्रत्येक दिन आधे घंटे की अवधि के दो सत्र थे। डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी), कृषि भूमि अध्ययन केन्द्र ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण दिया। इसके बाद पोषण संवेदी कृषि पर सत्र को कृषि भूमि अध्ययन केन्द्र की डॉ. निथ्या वी.जी. द्वारा किया गया । उसने समस्या के समाधान के लिए कुपोषण और पोषण संवेदनशील कृषि के विभिन्न कारणों को एक हस्तक्षेप के रूप में साझा किया।

दूसरे दिन की शुरुआत राष्ट्रीय पोषण संस्थान के उप निदेशक डॉ.जी. सुब्बाराव के साथ हुई, जिन्होंने लंबे समय में आबादी के लिए स्वस्थ पोषण प्राप्त करने के लिए पोषण-आधारित आहार विविधता और कृषि-आधारित आहार विविधता की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ चार गांव के अध्ययनों के परिणामों को साझा किया, जिससे पोषण संबंधी ज्ञान में सुधार और आहार विविधता पर कृषि केंद्रित होने की आवश्यकता समाप्त हुई।

दूसरे दिन का दूसरा सत्र कृषि और पोषण लिंकेज के लाभ की संभावना : लैंसा फ्रेमवर्क पर था जिसे एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊण्डेशन से डॉ. आर भवानी ने लिया । उन्होंने पोषण सुरक्षा और जेंडर को मुख्यधारा से जोडने के लिए जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण-प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। उन्होंने कोरापुट और वर्धा गांव में लांसा अध्ययन के परिणामों को साझा किया, जिसमें आवश्यक कृषि हस्तक्षेपों और नीतिगत निहितार्थों के बारे में बताया गया।

तीसरे दिन की शुरुआत रिलायंस फाउंडेशन के डॉ. रामकृष्ण द्वारा कृषि-पोषण संयोजन में सीएसआर मॉडल सत्र के साथ हुई। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन और एसडीजी को केंद्रित करते हुए

खाद्य सुरक्षा और कृषि के लिए रिलायंस फाउंडेशन और ग्रामीण परिवर्तन कार्यक्रम के अपने मॉडल को प्रस्तुत किया।

तीसरे दिन का दूसरा सत्र डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य द्वारा कृषि-पोषण संबंधों में जेंडर संबंध पर रहा। उन्होंने जेंडर सूचित पोषण कृषि को डिजाइन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और लक्ष्य-आधारित नीति ढांचे का सुझाव दिया जो बाधाओं और जेंडर अंतराल का समाधान करेंगे। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके पोषण सेवन में सुधार लाने के लिए समूह खेती या सामुदायिक खेती के माध्यम से खेती प्रणाली (एफएसएन) दृष्टिकोण के लिए खेती के लाभों पर प्रकाश डाला।

चौथे दिन, भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक, डॉ. बी. दयाकर राव ने अपने सत्र की शुरुआत "कृषि उत्पादन प्रणालियों में सुधार और पोषण परिणामों में भूमिका" पर की। उन्होंने साझा किया कि कैसे युवा आबादी इस देश में पोषक तत्वों की कमी हो गई है और एक उपाय के रूप में बाजरा का सुझाव दिया है, दोनों कुपोषण के साथ-साथ कुशल और कम संसाधन कृषि उत्पादन की आवश्यकता है। दिन का दूसरा सत्र डॉ. सुरजीत विक्रमण द्वारा कृषि और पोषण कार्यक्रमों के अभिसरण 'पर था जहां उन्होंने कुपोषण और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार द्वारा मौजूदा नीतिगत कार्यों पर चर्चा की, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं जैसे आईसीडीएस योजना, पोषण अभियान के बारे में आदि।

अंतिम दिन का सत्र डॉ. सुरजीत विक्रमण द्वारा 'कृषि में सततयोग्य मॉडल्स – पोषण संयोजन – ग्लोबल अनुभव पर था, जहां उन्होंने कृषि-पोषण लिंकेज के माध्यम से कुपोषण की चुनौती को दूर करने के लिए विश्व स्तर पर हो रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की। सत्र में ब्राजील की स्कूल फीडिंग पहल और जापान में स्कूलों में अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों को उनके दैनिक जीवन में मुख्यधारा के पोषण सुधार पर चर्चा की गई। भारत में हो रहे छोटे-छोटे कार्यों पर भी चर्चा हुई, जिन्हें आगे बढ़ाने और समर्थन देने की जरूरत है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रमुख शिक्षा को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता के संदर्भ में सभी सत्रों के विभिन्न पहलुओं पर एक ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिनिवेश प्राप्त किया गया । कार्यक्रम में कुल मिलाकर 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, पंचायती राज संस्था, शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारी थे। प्रत्येक सत्र के बाद जिन प्रतिभागियों ने सत्र में भाग लिया और ऑनलाइन मतदान में भाग लिया, उन्हें एनआईआरडीपीआर से ई-प्रमाणपत्र दिया गया। डॉ. सुरजीत विक्रमण और डॉ. निथ्या वी. जी कार्यक्रम समन्वयक रहे।

एनआईआरडीपीआर ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया, जेंडर संवेदी कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। यह इस वर्ष के सतर्कता भारत, समृद्ध भारत विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्णय के अनुरूप था।'

27 अक्टूबर 2020 को, कर्मचारियों ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ब्लॉक के सामने एकत्र होकर, कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया। श्रीमती जया कृष्णा एलामसेट्टी, प्रबंधक, सतर्कता ने इस अवसर की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी दी और श्री बी. श्रीनिवास राव, सहायक रजिस्ट्रार (प्रशिक्षण) ने राष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने स्टाफ को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलायी

सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक ने सभी स्तरों पर सत्यनिष्ठा की आवश्यकता पर बल दिया।

"जब काम करने की बात आती है, तो विकसित देशों में व्यक्ति की उत्पादकता दर 75 प्रतिशत हैं, जबकि भारत में यह केवल 30-40 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदेश को पढ़ा और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई ।

2 नवंबर को, जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला को डॉ. एन. वी. माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र द्वारा आयोजित गया । श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडीपीआर भी इस कार्यक्रम में शामिल

हुए।

कार्यशाला के दौरान डॉ. एन. वी. माधुरी ने लिंग और जेंडर के अंतर पर प्रकाश डाला। उन्होंने बड़े पैमाने पर समाज में जेंडर रूढ़िवादिता और इसके कुप्रभावों के बारे में भी चर्चा की और इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए दर्शकों के साथ दो संवादात्मक गतिविधियों का संचालन किया।

तत्पश्चात, श्रीमती राधिका रस्तोगी ने दर्शकों को संबोधित किया और इस बात को रखा कि बच्चे अपने माता-पिता को देखकर व्यवहार करना सीखें। उन्होंने कहा कि लड़कों को भी घर के कामों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित सरपंच-पति घटनाओं के बारे में भी बताया और यह भी कि जनप्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित होने के बाद भी, महिलाओं को अपने कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पति सत्ता की कमान संभालते हैं।

बाद में, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में आयोजित प्रश्नमंच प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए। विजेताओं के नाम इस प्रकार है - श्री पल्ला अरविंद (प्रथम पुरस्कार), श्री बी.वी. श्रीनिवासुलु (द्वितीय पुरस्कार), श्री सुनील कुमार झा और श्री अनिल कुमार (तृतीय पुरस्कार)।

- सीडीसी की पहल

एफपीओ के माध्यम से जैविक पौध पोषण और संरक्षण सामग्री की तैयारी पर एनआईपीएचएम हैदराबाद के साथ वेबिनार

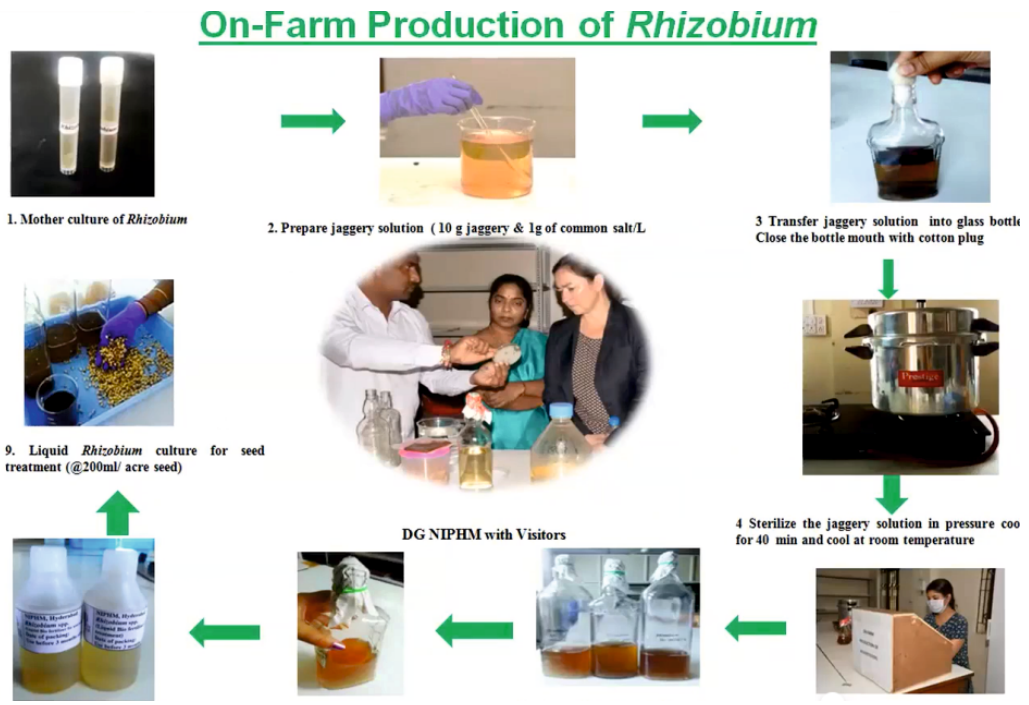

जैविक पौध पोषण और संरक्षण सामग्री तैयार करने पर वेबिनार की एक स्लाइड

छोटे खेत का परिचालन अस्थायी है जो एक सच्चाई है। जब तक और छोटे उत्पादकों, जो हमारे कृषि के मुख्य खंड हैं, उनके मूल्य श्रृंखला विकास गतिविधियों के कुछ हिस्सों को एकत्रित करते हैं, तो उनके कृषि कार्यों को हमेशा के लिए नुकसान होगा।

कृषि भूमि संबंधी अध्ययन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर आगामी एफपीओ के लिए तकनीकी बैकस्टॉप सुविधा होने का प्रयास कर रहा है। एफपीओ की संस्था निर्माण, मूल्य श्रृंखला विकास योजनाओं और इन योजनाओं को वित्त देने के लिए बैंकों और सरकारी अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता की सुविधा तीन प्रमुख विषयगत क्षेत्र हैं जिसमें सीएएस बल दे रहा है।

किसान, रसायनों और उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के रूप में निरंतर निवेश कर रहे हैं जो लागत गहन, पर्यावरणीय खतरों और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस ज्वलंत कृषि संकट को महसूस करते हुए, कृषि भूमि संबंधी अध्ययन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर ने राष्ट्रीय कृषि स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के साथ सहयोग किया ताकि किसानों को अपने एफपीओ के माध्यम से कृषि निर्मित पौधों के स्वास्थ्य और सुरक्षा समाधान के माध्यम से जैविक खेती में मदद मिल सके।

एनआईपीएचएम द्वारा मानकीकृत पद्धतियों के प्रसार में किसानों को शिक्षित करने के प्रयासों को जारी रखने के लिए एनआईआरडीपीआर के लिए एनआईपीएचएम रणनीतिक भागीदार रहा है।

डॉ. श्रीलता, सहायक निदेशक और डॉ. दामोदर चारी, तकनीकी विशेषज्ञ, एनआईपीएचएम को सत्र संचालन और एफपीओ के किसानों तथा प्रमोटरों को एनआईपीएचएम द्वारा मानकीकृत उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और पौधों के पोषण एवं संरक्षण प्रबंधन के संबंध में मानकीकृत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

डॉ. श्रीलता ने एनआईपीएचएम द्वारा विकसित और मानकीकृत विभिन्न जैव-कीटनाशकों के बारे में बताया जो कि व्यापक रूप से व्यक्तिगत किसान स्तर के साथ-साथ बड़े पैमाने पर व्यावसायिक तैयारी के लिए उपयोग किए जाते हैं और उचित लाइसेंसिंग के माध्यम से विपणन किया जाता है। उन्होंने बताया कि एफपीओ स्तर पर विभिन्न कीट-विशिष्ट समाधान तैयार करने के साथ लागत कम से कम कैसे संभव है।

डॉ. दामोदर चारी द्वारा सत्र को आगे बढ़ाया गया, स्थायी कृषि सुनिश्चित करने के लिए जैव उर्वरक के विकल्प के रूप में जैव उर्वरक का उपयोग करने के बारे में बताया गया।

डॉ. दामोदर चारी ने एज़ोटोबैक्टर, एज़ो स्पाइरिलम, राइज़ोबियम, ब्लू ग्रीन शैवाल और फॉस्फेट सॉल्यूबलिंग बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मिट्टी में एंजाइम क्रिया में कमी के संदर्भ में रासायनिक पोषक तत्वों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले नुकसान को समझाया, विशेष रूप से खनिज एंजाइमों, सीएच 4 सहित एन 2 ओ और सीओ 2 का भारी उत्सर्जन, ऐसे तत्व है जो कृषि मिट्टी पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या और विविधता में कमी के लिए प्रमुख लाभदायक मृदा सूक्ष्म वनस्पतियों और कृषि संबंधी सूक्ष्मजीवों की अनुपलब्धता का कारण बन रही है।

समापन सत्र प्रतिभागियों के प्रश्न और उत्तर के लिए समर्पित रहा। यह सभी एफपीओ के प्रतिभागियों के साथ टीओटी मोड में एक अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जो एनआईपीएचएम के उद्यम मॉडल को स्थापित करने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। डॉ. राधिका रानी ने एनआईपीएचएम को धन्यवाद दिया और प्रतिभागियों से एनआईपीएचएम के साथ अपने सहयोग को आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया।

बाजरा फसलों के मूल्य श्रृंखला विकास पर भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के साथ वेबिनार

कृषि भूमि संबंधी अध्ययन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर देश में मजबूत एफपीओ के निर्माण में पिछले साढ़े तीन साल से काम कर रहा है। यह आंध्र प्रदेश के नाबार्ड के लिए संसाधन सहायता एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है, जिसमें यह उत्तर तटीय क्षेत्र में स्थित 100 एफपीओ को अनुभवपरक और शिक्षा संबंधी सहायता सेवाएं प्रदान कर रहा है।

बाजरा की फसलें मुख्य रूप से एफपीओ के कुछ भीतरी इलाकों, विशेष रूप से विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिलों में उगाई जाती हैं। जनजातीय क्षेत्र जहां कुछ एफपीओ स्थित हैं। वहाँ बाजरा प्रमुख फसल है।

भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में स्थित आईसीएआर की एक विशेष कृषि अनुसंधान एजेंसी है और यह एफपीआर के माध्यम से बाजरा फसलों के मूल्य श्रृंखला को विकसित करने में एनआईआरडीपीआर के साथ काम कर रही है।

अंत में उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए इसकी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए बाजरे की फसलों से निपटने वाले एफपीओ की आवश्यकता महसूस होती है। कोविड-19 अवधि के दौरान पौष्टिक भोजन की मांग भी और बाजरे के मूल्य वर्धित उत्पादों की बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, 17 सितंबर, 2020 को 'मिलेट्स क्रॉप्स एंड इट्स अडाप्टेशन इन एफपीओ' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

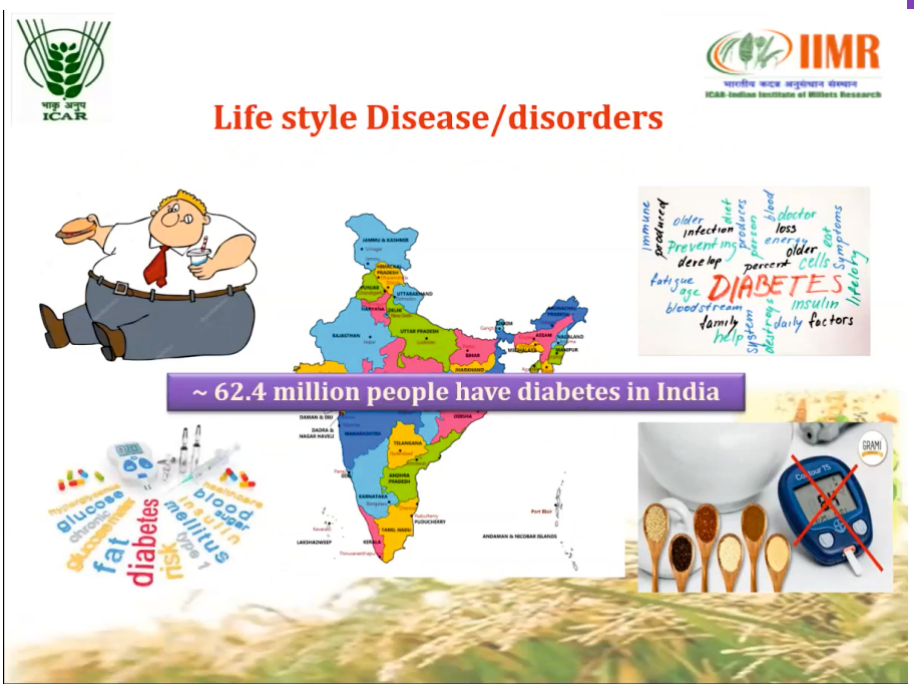

जेंडर बजटिंग के लिए उपकरणों पर प्रस्तुति से एक स्लाइड

आईआईएमआर में डॉ. संगप्पा, एमएससी (कृषि), पीएचडी, एआरएस वैज्ञानिक वेबिनार के मुख्य तकनीकी स्त्रोत व्यक्ति थे। आमंत्रित व्यक्ति एफपीओ, एनजीओ से थे जिन्होंने एफपीओ और लाइन विभाग के अधिकारियों को बढ़ावा दिया। प्रतिभागी पूरे भारत से उपस्थित हुए और लगभग 400 प्रतिभागीगण इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए।

डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी), सीएएस ने चर्चा की शुरुआत की तथा बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों की बढ़ती शहरी मांग को ध्यान में रखते हुए और बाजरा के फसलों पर एफपीओ के द्वारा तत्काल मूल्य श्रृंखला विकास के प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। किसानों की आय को दोगुना करना, जो बाजरा की फसलों के साथ आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास उच्च उपज, मूल्य संवर्धन और ऊपरी बाजारों तक पहुंचने की क्षमता है।

डॉ. संगप्पा ने तकनीकी चर्चा की शुरुआत करते हुए, एफपीओ द्वारा बाजरा फसल उत्पादन के वर्तमान स्तर और इसके मूल्य श्रृंखला विकास के प्रयासों का आकलन किया। एनजीओ द्वारा पदोन्नत

एफपीओ के प्रतिनिधियों, श्रीकाकुलम में सीवीएस और विशाखापत्तनम में एसवीडीएस और विजयनगरम में सबला एनजीओ ने साझा किया है कि वे कैसे बाजरा बिस्कुट, माल और अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद बना रहे हैं और उन्हें स्थानीय शहरों में विपणन कर रहे हैं।

एनजीओ और एफपीओ के चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए, डॉ. सांगप्पा ने बीज से लेकर उपभोक्ता तैयार उत्पादों तक के मूल्य श्रृंखला में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बाजरा की फसलों की श्रेणी के साथ प्रमुख बाज़ारों में वर्गीकृत किया। जैसे - रागी, मोती बाजरा और बाजरा और फॉक्स टेल बाजरा, छोटे बाजरा, कोदू बाजरा, ब्राउन टॉप बाजरा, प्रोज बाजरा और बरनीयार्ड बाजरा। चावल की फसल की तुलना में प्रत्येक बाजरे की फसल की पौष्टिक संरचना को प्रस्तुत करते हुए, डॉ. सांगप्पा ने हृदय रोगों, मधुमेह, ऑक्सीडेटिव तनाव, उच्च रक्तचाप और इसके कैंसर-रोधी गुणों के खिलाफ बाजरा फसलों के स्वास्थ्य लाभों को सूचीबद्ध किया। फिर, उन्होंने विभिन्न बाजरा फसलों की पद्धतियों के पैकेज पर चर्चा की जानकारी दी और जोर दिया कि किसी भी अन्य लोकप्रिय फसलों की तुलना में, बाजरा को विभिन्न प्रकार की मिट्टी सहित खराब और समस्याग्रस्त मिट्टी में भी उगाया जा सकता है।

डॉ. संगप्पा ने प्रतिभागियों को बाजरे की फसलों की कटाई, थ्रेशिंग और विन्निंग और अन्य फ़सल के बाद संचालन की तकनीकों पर मार्गदर्शन किया।

इसके अलावा, चर्चा को कटाई के बाद बाजरा प्रसंस्करण और मशीनरी को विभिन्न बाजरा फसलों के लिए अनुकूलित किया गया। उन्होंने तकनीकी रूप से बाजरा के प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण की व्याख्या की और बताया कि एफपीओ प्राथमिक उत्पादकों को प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण दोनों करने के लिए सरल मशीनरी के साथ कैसे मदद कर सकता है।

संगप्पा ने चित्रों के माध्यम से बाजरा के प्राथमिक प्रसंस्करण मशीनरी की सीमा को समझाया और मशीनरी पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बाजरा की फसलों के लिए मिलिंग तकनीक और एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के बारे में बताया।

अंत में, तकनीकी सत्र ने बेकरी उत्पादों, विस्तारित अनाज उत्पादों, एक्सट्रूज़न, फ्लेकिंग और फोर्टिफाइड बाजरा उत्पादों से संबंधित जानकारी दी। विभिन्न बाजरा-आधारित उत्पादों और खाद्य पदार्थों के व्यंजनों को प्रस्तुत किया गया था।

तकनीकी सत्र का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ। चयनित बाजरा आधारित एफपीओ के लिए फील्डबेड प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामान्य पूल संसाधनों की पहचान और रखरखाव के लिए रणनीतियों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

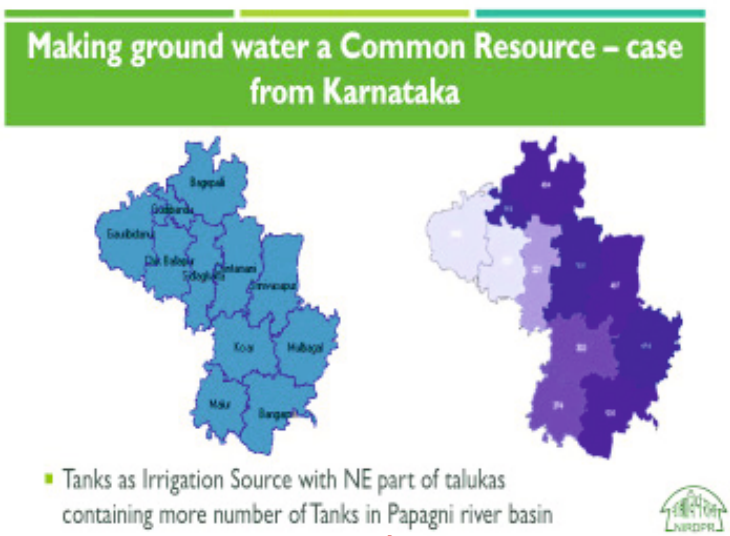

पीआरआई के माध्यम से सामान्य पूल संसाधनों की पहचान करने और रख-रखाव के लिए रणनीतियों पर प्रस्तुति से एक स्लाईड

कुछ वर्षों से, सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) में तेजी से गिरावट आ रही है क्योंकि लोग इन सामान्य पूल संसाधनों के निरंतर उपयोग से अपने निजी लाभ को अधिकतम करने की संभावना रखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में बेहतर स्थिति में होना चाहिए और इसके स्थायी उपयोग के लिए सामान्य हितों की रक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के वांछित मोड की उपयुक्तता को निर्धारित करना चाहिए। मजबूत शासन तंत्र और संस्थागत ढांचे को तैयार करना सीपीआर के प्रबंधन के लिए इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पीआरआई, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को भी सामुदायिक संपत्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए जो प्राकृतिक, सामाजिक या आर्थिक हो सकती हैं और नागरिक द्वारा आवश्यक हैं लेकिन किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा बनाए जाने के लिए किफायती नहीं है। यह समग्र और स्थायी योजना प्रक्रिया और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, पंचायतों को सीपीआर के माध्यम से अधिकतम राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, संपत्ति को अतिक्रमण से बचाना चाहिए और परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। इस संदर्भ में, पंचायती राज केन्द्र, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के सहयोग से कृषि अध्ययन केंद्र ने पांच दिवसीय वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में प्रतिभागियों को अपने गांवों में सामान्य पूल संसाधनों की पहचान करने और ग्रामीण गरीबों की आजीविका उत्थान के लिए सीपीआर की क्षमता को समझने में सक्षम बनाना तथा सीपीआर को

बनाए रखने में शासन-तंत्र, संस्थागत ढांचे और समुदाय आधारित प्रबंधन पद्धतियों के कार्यक्रमों को विकसित करने का सुझाव देना तथा सीपीआर और उनके प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना था।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पिछले तीन वर्षों से संयुक्त रूप से सीएएस और सीपीआरडीपीएसएसडी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चालू वर्ष में, देशव्यापी कोविड-19 संकट के कारण, कार्यक्रम 7 से 11 सितंबर, 2020 तक ऑनलाइन द्वारा आयोजित किया गया था। प्रतिभागी कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और गैर सरकारी संगठनों के लाइन विभाग के अधिकारी थे। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से प्राप्त विवरण के आधार पर उन्हें अग्रिम रूप से सूचीबद्ध किया गया । स्मार्ट फोन के माध्यम से जुड़ने की सुविधा वाले वेबएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीपीआरडीपीएसएसडी ने उद्घाटन भाषण दिया, जो वर्तमान परिदृश्य में सीपीआर के महत्व पर जानकारी देते हुए उपलब्ध सीपीआर को बनाए रखने में पंचायत की भूमिका पर आधारित है। डॉ. निथ्या वी.जी., सहायक प्रोफेसर, सीएसए और पाठ्यक्रम निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख किया और सीपीआर की वैचारिक समझ और आजीविका के संदर्भ में एक सत्र का संचालन किया ।

दूसरे दिन, श्री सुब्रत सिंह और उनकी टीम 'पर्यावरण सुरक्षा संस्था' (एफईएस) ने जन साधारण पर अपने अनुभव साझा किए और जन साधारण के मामला अध्ययन और मौजूदा नीतिगत पहलू पर चर्चा की। उन्होंने पारिस्थितिक बहाली में तेजी लाने के साथ-साथ गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्राकृतिक संरक्षण और स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों की भी जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन सीपीआर की भागीदारी योजना, प्रबंधन और संरक्षण को कवर किया गया । डॉ. कथिरेसन ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के दिशानिर्देशों को समझाया और कैसे जीपीआर भागीदारी योजना प्रक्रिया में सीपीआर को एकीकृत करके प्रभावी योजना तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा संसाधनों और उपयोगकर्ता समूहों को शामिल करके माइक्रो प्लान कैसे करें। उन्होंने डी 100+ क्लस्टर विकास पर 'एनआईआरडीपीआर एक्शन रिसर्च परियोजना और 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने पर परियोजना' की जानकारी भी दी।

चौथे दिन, डॉ. निथ्या वी. जी. ने मामला अध्ययन के माध्यम से सीपीआर को नियंत्रित करने में संस्थाओं की भूमिका को कवर किया, सीपीआर को संचालित करने में स्थानीय संस्थाओं और समुदाय के महत्व को कवर किया । जल संसाधन पर अधिकार का निर्धारण - ओडिशा का मामला अध्ययन, वन संसाधन पर सामुदायिक अधिकार स्थापित करना - ओडिशा का मामला, और भूजल को एक सार्वजनिक संसाधन बनाना - कर्नाटक का मामला आदि कवर किया गया । चौथे दिन के सत्र के दौरान, तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड से डॉ. शिल्पी शर्मा ने जैव विविधता अधिनियम और नियमों तथा जैव विविधता के संरक्षण में पंचायतों की भूमिका को कवर किया।

अंतिम दिन, मजदूरी रोजगार एवं आजीविका केन्द्र के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. ज्योतिस सत्यपालन ने मजदूरी कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत स्तर पर सीपीआर के रख-रखाव विषय पर चर्चा की। उन्होंने एमजीएनआरईजीए के तहत कवर की गई गतिविधियों, सीपीआर को बनाए रखने में एमजीएनआरईजीए के महत्व और चयनात्मक मामले के अध्ययन के माध्यम से जन साधारण को बनाए रखने में अन्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की जानकारी दी।

प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रमुख अध्ययनों को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता के संदर्भ में सभी सत्रों के विभिन्न पहलुओं पर एक ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रति निवेश के साथ हुआ। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित सामग्री और सत्रों पर अपनी समग्र संतुष्टि व्यक्त की है।

सत्र में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और पाँच दिनों के ऑनलाइन चुनाव को एनआईआरडीपीआर से ई-सर्टिफिकेट दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ. निथ्या वी.जी. सहायक प्रोफेसर, सीएएस और डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीआरडीपीएसएसडी, एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित किया गया।

नए कृषि अधिनियमों और उनके निहितार्थों पर माननीय राज्यपाल, तेलंगाना की वीडियो कॉन्फ्रेंस

महत्वपूर्ण प्रावधान

- मेहनताना मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने हेतु किसानों को विकल्प देना, बाधा रहित व्यापार एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच की सुविधा देना ।
- विनियमित बाजार समितियों के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित बाजार और यार्डो तक सीमित किया जाना चाहिए ।
- कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन उपलब्ध हो तो वह किसी भी स्थान पर कृषि उत्पादों की बिक्री कर सकता है ।
- उत्पाद का भुगतान तीन दिनों में किया जाए ।

जून के दौरान भारत सरकार द्वारा तीन नए अध्यादेशों की घोषणा की गई, i) किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 ii) मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 और (2020) पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता iii) आवश्यक वस्तु का (संशोधन) अध्यादेश, 2020। इन तीन अध्यादेशों ने शैक्षिक समुदायों, नागरिक समाज और किसान संगठनों के बीच कृषि बाजारों पर उनके निहितार्थ के बारे में चर्चा की है।

इस संदर्भ में, तेलंगाना के माननीय राज्यपाल

डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने 30 सितंबर, 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी), कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने भाग लिया और इन अध्यादेशों के संबंध में कृषक समुदाय के लिए संभावित समस्यांओं और लाभों को प्रस्तुत किया। इसके अलावा अन्य तीन आमंत्रित निदेशक, एनएएआरएम, निदेशक सीआरआईडीए, सीजीएम एनएबीएआरडी तेलंगाना और संयुक्त सचिव, कृषि विपणन, कृषि मंत्रालय उपस्थित थे।

प्रतिभागी शिक्षण अभ्यास पर सीपीआरडी एवं एसएसडी द्वारा ऑनलाईन पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन

Household Data

Sector based community data

Participatory Rural Appraisal (PRA)/ PLA data

प्रतिभागी शिक्षण अभ्यास पर प्रस्तुति से एक स्लाईड

पंचायती राज केंद्र, विकेंद्रीकृत योजना, और सामाजिक सेवा वितरण, (सीपीआरडीपी और एसएसडी), एनआईआरडपीआर ने कार्यक्रम समन्वयक और युवा साथियों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए प्राथमिक डेटा के संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भागीदारी शिक्षण के अभ्यास पर ऑनलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण पूरा किया। पर्यावरण सुरक्षा संस्था, बनवासी सेवा आश्रम, क्षेत्रीय विश्लेषण संस्थान, ग्रामीण समाज मुक्ति ट्रस्ट और मिशन समृद्धि से योग्य पेशेवरों और क्लस्टर समन्वयकों के साथ असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं।

पुनश्चर्या प्रशिक्षण 100 + क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए कार्य अनुसंधान परियोजना के तहत आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) और जीपीडीपी के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रतिभागी शिक्षण अभ्यास (पीएलई) के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली को समझना था। इसका उद्देश्य अन्य जीपी को परिणाम के लिए प्रेरित करने, मॉडल जीपी का पालन करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में अच्छी पद्धतियां को दोहराने के लिए मॉडल जीपी क्लस्टर्स के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। सामुदायिक स्तर पर भागीदारी सीखने की कवायद और प्राथमिक डेटा एकत्र करना समुदायों और जीपी की वास्तविक जरूरतों को संपूर्ण डीएसआर और गुणवत्ता जीपीडीपी में प्रतिबिंबित करेगा। प्रतिभागी शिक्षण अभ्यास का संचालन और प्राथमिक डेटा का संग्रह जमीनी स्थिति को समझने और किसी भी जीपी में लोगों की विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, दो स्लॉट में- 07 अक्टूबर से 09 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2020 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

जीपीडीपी पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों के सूचना आधार को बेहतर बनाने में सहयोग दिया। प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को सहभागी बनाने का प्रयास किया। वेब-आधारित प्रशिक्षण होने के बावजूद, इसने अपने उद्देश्य को पूरा किया है- श्री प्रद्युम्न कुमार आचार्य कार्यक्रम मैनेजर, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी।

तीन-दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: i) जीपीडीपी की गुणवत्ता विशेषताएँ और उन्हें प्राप्त करने के साधन, ii) सहभागी शिक्षण अभ्यास (पीएलई) का दृष्टिकोण, उद्देश्य और कार्यप्रणाली, iii) परिवारों के समूहों के साथ बातचीत की पद्धति, गुणवत्ता जीपीडीपी के लिए घरेलू डेटा, iv) गुणवत्ता जीपीडीपी के लिए सेक्टर आधारित सामुदायिक डेटा के संग्रह की पद्धति, vi) पीपीसी और एआरपी - गुणवत्ता जीपीडीपी के लिए अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के लिए गतिविधियों का समन्वित कैलेंडर) vi) प्राथमिक डेटा और माध्यमिक डेटा का समेकन और अंतराल, जरूरतों और प्राथमिकताओं का विश्लेषण, vii) डेटा आधारित स्थितिगत विश्लेषण और विकास की स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) और viii) जीपीडीपी दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करना।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, प्रमुख प्रशिक्षकों ने सामुदायिक स्तर पर जीपीडीपी और डेटा-संचालित स्थितिजन्य विश्लेषण और विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करने की कार्यप्रणाली के लिए सामुदायिक स्तर पर भागीदारी सीखने के अभ्यास के महत्व के बारे में बताया।

कार्यक्रम का समन्वय डॉ. अंजन कुमार भंजा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी और एसएसडी, एनआईआरडीपीआर के साथ-साथ श्री दिलीप कुमार पाल, मॉडल जीपी क्लस्टर के लिए परियोजना टीम लीडर, सीपीआरडीपी और एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, और 100 + क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए कार्य अनुसंधान परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन यूनिट टीम द्वारा किया गया था।

उद्यमीकर्ताओं के लिए विभिन्न वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरटीपी द्वारा आयोजन

अन्नपूर्णा कॉटेज इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्री आर.डी. राज, प्रतिभागियों को पत्ती प्लेट और कप के निर्माण के बारे में जानकारी देते हुए

उद्यमशीलता विकास के लिए कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के महत्व को पहचानते हुए तथा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार अवसरों को सृजित करने के लक्ष्य को देखते हुए कौशल एवं जॉब के लिए नवोन्मेषण एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने स्व-सहायता समूहों, नये उद्यमीकर्ताओं, प्रशिक्षकों, एनजीओ, सरकारी एजेंसियों / संस्थाओं एवं संपूर्ण देश के छात्र-छात्राओं के लाभ हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर चार मांग आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया । वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्येश्य भाषा की अड़चनों को दूर करते हुए प्रशिक्षण अनुभव पर प्रशिक्षार्थी अनुभव प्रदान करना है ।

अक्तूबर, 2020 के दौरान ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ निम्नलिखित तकनीकों पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1. 19 अक्तूबर, 2020 को इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग तकनीक।
2. 21 अक्तूबर, 2020 को पत्तों के प्लेट और कप बनाना
3. 28 अक्तूबर, 2020 को मशरूम की खेती और प्रसंस्करण
4. 29 अक्तूबर, 2020 को सौर निर्जलीकरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण

इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, टीवेव टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक, श्री संपत ने उपकरण, विशेष रूप से कृषि उपकरणों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और इसकी उपयोगिता और अनिश्चितता के बारे में शानदार तरीके से बताया । इसके अलावा, उद्यमशीलता मॉडल जिसे बेरोजगार युवाओं द्वारा अपनाया जा सकता है उसे उद्यमशीलता गतिविधि के रूप में बताया गया। गतिविधि का अर्थशास्त्र, क्रेडिट लिंकेज सुविधाएं, और विपणन रणनीतियों को भी समझाया गया था। उपरोक्त के अलावा, प्रौद्योगिकी की अधिक समझ के लिए इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग का लाइव प्रदर्शन किया गया ।

लीफ प्लेट और कम मेकिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, अन्नपूर्णा कॉटेज इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्री आर.डी. राज ने, विशेष रूप से स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर, इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की । पत्तियों के प्रकार जो पत्ती की प्लेटों और कपों को बनाने के लिए उपयोगी होते हैं और खरीद के लिए उनकी विशेषताओं को उनके साथ साझा करते समय समझाया गया था। विभिन्न प्रकार की मशीनरी, उत्पाद बनाने के लिए उपलब्ध मैनुअल और हाइड्रोलिक दोनों को अलग-अलग उत्पाद बनाने का व्यावहारिक प्रदर्शन देने के अलावा दर्शाया गया है। उद्यमशीलता गतिविधि के लिए विस्तृत अर्थशास्त्र पर चर्चा की गई और प्रतिभागियों के साथ-साथ उन योजनाओं के साथ साझा किया गया जो धन सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध हैं। उन्होंने इच्छुक प्रतिभागियों और मशीनरी की आपूर्ति के लिए समर्थन का आश्वासन दिया।

मशरूम की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, मशरूम के प्रमोटर डॉ. प्रसुना ने मशरूम के पोषण मूल्यों का विस्तृत विवरण दिया, विभिन्न प्रकार के मशरूमों की खेती और प्रसंस्करण पद्धति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया, साथ ही इसे उद्यमशीलता के रूप में शुरू करने के लिए अर्थशास्त्र गतिविधि साझा की। विपणन के लिए रणनीतियाँ, अंतिम उत्पाद के बेहतर जीवन के लिए पैकेजिंग तकनीक और प्रौद्योगिकी तथा गतिविधि के समर्थन में उपलब्ध योजनाएँ भी साझा की गईं। प्रत्येक चरण में स्पष्टीकरण देते हुए प्रतिभागियों के लाभ के लिए खेती और संपूर्ण प्रसंस्करण के संबंध में एक वीडियो भी दिखाया गया।

सौर निर्जलीकरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, स्त्रोत व्यक्ति श्री संपत, प्रबंध निदेशक, टीवेव टेक्नोलॉजी ने फलों, सब्जियों आदि की सौर निर्जलीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें जेली बनाना, ड्राइंग क्रियाविधि और पाउडर बनाना आदि शामिल हैं और जल्द ही उक्त गतिविधि के प्रत्येक चरण में स्पष्टीकरण देते हुए पूरी प्रक्रिया पर एक वीडियो दिखाया गया। उद्यमिता गतिविधि के रूप में उद्यमियों के लिए अर्थशास्त्र को समझाने के अलावा लागत के साथ-साथ मशीनरी का प्रदर्शन भी किया गया।

विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी से उपरोक्त चार कार्यक्रमों में कुल 318 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उनमें किसान, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संस्थान जैसे एसआरएलएम, छात्र, आदि शामिल थे।

फीडबैक सत्र के दौरान, कई प्रतिभागियों ने ग्रामीण समुदाय के साथ इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा अर्जित ज्ञान को साझा करने की इच्छा व्यक्त की और आरटीपी, एनआईआरडीपीआर में प्रशिक्षण शुरू होने के बाद इन तकनीकों में प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक लोगों को जुटाया। किसानों और एसएचजी ने सूचित किया कि वे छोटे तरीके से गतिविधि शुरू करेंगे और आरटीपी, एनआईआरडीपीआर के मार्गदर्शन में और विस्तार करना चाहेंगे।

डॉ. एस. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीआईएटी एसजे और श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी एसजे ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना और रोज़गार सृजित करने के लिए आजीविका कार्यक्रमों के अवसरों के बारे में चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में प्रदर्शित विभिन्न तकनीकों और आरटीपी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के सहयोग से संबंधित क्षेत्रों से लाभ उठाने का आह्वान किया। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए गए।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी